the finanical year not later than 30th day of September in the next year shall prepare and submit an Annual Report to the Government. The Report will be laid before the Parliament as and when received from the Chief Commissioner during 1998.

कच्छ में स्थानीय जनजाति और बंजारा समुदाय की संख्या का आकलन

1391. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रवार स्थानीय जनजाति की संख्या का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो कच्छ और बनासकांठा में बंजारा समुदाय और अन्य जनजातियों की कुल संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा कच्छ और बनासकांठा में ऐसी जनजातियों की पहचान कर ली गई है;

(घ) क्या गत एक दशक में उन जनजातियों की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) समय-समय पर यथा-संशोधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के अधीन केवल उन जनजातियों के संबंध में जनसंख्या के आंकड़ों का आकलन जनगणना में किया जाता है जिन्हें विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति की अधिसूचना में बंजारा समुदाय को गुजरात राज्य में शामिल नहीं किया गया है। तथापि गुजरात के केवल कच्छ जिले में कुछ ही समुदायों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 की सूची में कोई नई जाति या जनजाति को शामिल अथवा उससे हटाया नहीं गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1978 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। सन् 1991 की जनगणना से संबंधित जनजाति-वार जनसंख्या के आंकड़ों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए 1981 की जनगणना के अनुसार इन जनजातियों की जनसंख्या नीचे दी गई है:—

केवल कच्छ जिले में क्षेत्रीय नियंत्रण के साथ अधिसूचित अनुसूचित जनजाति का नाम	1981 की जनगणना
1. कोली	7,877
2. पराधी	4,416
3. बागड़ी	7,806

इसके अतिरिक्त, 1981 की जनगणना के दौरान, जैसा कि कच्छ और बनासकांठा से विवरण दिया गया है, सम्पूर्ण गुजरात में अधिसूचित सभी अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का विवरण, विवरण-I के रूप में सभा पटल पर रखा जाता है (नीचे देखिए)।

(ग) संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के अंतर्गत गुजरात राज्य के लिए राष्ट्रपति के आदेशों के माध्यम से जो जनजातियां अधिसूचित की गई हैं उनसे संबंधित विवरण, विवरण-II के रूप में सभा पटल पर रखा जाता है (नीचे देखिए)।

(घ) पिछले एक दशक के दौरान उन जनजातियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया है क्योंकि अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 की सूची में कोई नई जाति या जनजाति को शामिल अथवा उससे हटाया नहीं गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 गुजरात राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची

	अनुसूचित जनजाति	कच्छ	बनासकांठा
1.	बरदा	2	11
2.	भावचा, बामचा	—	141
3.	भारवाड (अलेच बारदा तथा गीर के जंगलों के नेसेज में)	0	0
4.	भील, भील, गारसिया, धोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गारासिया, मेवासी भील, रावल भील, ताडवी भील, भागालिया, पावारा, वासवा, वासवे	2,235	109, 662
5.	चारण (अलेच, बारदा तथा गीर के जंगलों के नेसेज में)	0	0
6.	चौधरी (सूरत तथा बनसाद जिला)	0	0
7.	कोधरा	7	0
8.	ढांका, ताडवी, तेतारिया, कात्वी	37	7
9.	धोदिया	51	13
10.	दुबला, तालविया, हालपती	20	3
11.	गामित, गामता, गावित, भावची, पाडवी	49	37
12.	गोंड, राजगोंड	0	45
13.	काथोदी, काठोरी, ढोर, काथोदी, डोरा काठोदी, सोन का थोदी, सोन काथोदी	0	0
14.	कोकना, कोकनी, कुकना	1	92
15.	कोली (कच्छ जिला में)	47,877	0
16.	कोली ढोर, तीकरे, कोली, कोलचा, कोलधा	74	109
17.	कुंबी (डांगरा जिला में)	0	0
18.	नाइकडा, कोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, बोला नायक, नाना नायक	62	243
19.	पाधार	0	40
20.	पारधी (कच्छ जिले में)	4,416	0
21.	पारधी, आदवी चिंचेर, पान्से पादधी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट तथा सुरेन्द्रनगर जिलों को छोड़कर)	0	0
22.	पाटेलिया	102	0
23.	पेमला	0	0
24.	राबड़ी (अलेच, बारदा तथा गीरके जंगलों में नेसेज में)	0	0
25.	रठवा	8	0
26.	सिद्दी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट तथा सुरेन्द्रनगर जिलों में)	0	0
27.	पाधरी (कच्छ जिलों में)	7,806	0
28.	वारली	9	0

विवरण-II

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 गुजरात राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची

1. बरदा
2. भावचा, बामचा
3. भारवाड (अलेच बारदा तथा गीर के जंगलों के नेसेज में)
4. भील, भील, गारसिया, धोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गारसिया, मेवासी भील, रावल भील, ताडवी भील भागालिया, पावारा, वासवा, वासवे
5. चारण (अलेच, बारादा तथा गीर के जंगलों के नेसेज में)
6. चौधरी (सूरत तथा वलसाद जिला)
7. कोधरा
8. ढांका, ताडवी, तेतारिया, कात्वी
9. धोदिया
10. दुबला, तालविया, हालपती
11. गामित, गामता, गावित, मावची, पाडवी
12. गोंड, राजगोंड
13. काथोदी, काठोरी, ढोर, काथोदी, डोरा काठोदी, सोन का थोदी, सोन काथोदी
14. कोकना, कोकनी, कुकना
15. कोली (कच्छ जिला में)
16. कोली ढोर, तीकरे, कोली, कोलचा, कोलथा
17. कुंबी (डांग्स जिला में)
18. नाइकडा, कोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, बोता नायक, नाना नायक
19. पाधार
20. पारधी (कच्छ जिला में)
21. पारधी, आदवी चिंचेर, पान्से पादधी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट तथा सुरेन्द्रनगर जिलों को छोड़कर)
22. पाटेलिया
23. पेमला
24. राबड़ी (अलेच, बारादा तथा गीर के जंगलों में नेसेज में)
25. राठवा
26. सिद्दी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट तथा सुरेन्द्रनगर जिलों में)
27. वाधरी (कच्छ जिलों में)
28. वारली
29. विटोला, कोटवालिया, बरोदिया

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रावासों के लिए विशेष कार्य योजना

1392. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सरकार को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रावासों में विशेष कार्य योजना के अंतर्गत आवश्यक सामग्री प्रदान करने और इन छात्रावासों की स्थिति में सुधार करने के लिए वर्ष 1994-95 और 1996 के दौरान कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) इस राशि में से कितनी राशि छात्रावासों और आश्रम भवनों की मरम्मत और उनमें आवश्यक सामग्री प्रदान करने हेतु व्यय की गई; और

(घ) इस विशेष कार्य योजना के बावजूद जिलेवार, ऐसे छात्रावासों और आश्रमों की संख्या का ब्यौरा क्या है जिन्हें आवश्यक सामग्री प्रदान नहीं की गई अथवा उनकी मरम्मत नहीं की गई तथा इस कार्य के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) से (घ) यह मंत्रालय मध्य प्रदेश या किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को होस्टलों में आवश्यक सामग्री प्रदान करने या होस्टलों की मरम्मत के लिए किसी विशेष कार्य योजना के अंतर्गत अनुदान नहीं देता है। तथापि, यह मंत्रालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल, लड़कियों के लिए होस्टल तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान स्वीकृत करने की योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

सरकारी नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र

1393. **श्री अजीत जोगी:**
श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को केवल विकलांग व्यक्तियों से ही भरा जा रहा है;